

In the Court of S.D.J.M Bikramganj
C-221/2025

Date of Order	Orders with initials of the Magistrate	Remarks
10.06.2026	अभिलेख प्रस्तुत किया गया, परिवादिनी अनुपस्थित है। प्रस्तुत वाद कौशल्या कुमारी द्वारा दीनबंधु चौधरी एवं अन्य के विरुद्ध लाया गया है। वाद के क्रम में अभियुक्तगण पर नोटिस निर्गत किया गया, जिसमें वह प्रस्तुत होकर अपना जबाव दाखिल किये। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि दिनांक 02.03.26 को परिवादिनी एवं अभियुक्त दीनबंधु चौधरी के बीच एक करार शपथ पत्र के माध्यम से इस आशय का की दोनों पक्ष अपने जीवन का निर्वहन अलग अलग करेंगे, दाखिल किया गया। उसके उपरान्त से ही परिवादिनी अनुपस्थित है, दिनांक 08.04.26 को परिवादिनी को उपस्थित रहने का आदेश दिया गया एवं दिनांक 26.05.26 को उपस्थित रहने हेतु अंतिम अवसर दिया गया किंतु आज भी परिवादिनी अनुपस्थित है। इससे यह प्रतीत होता है कि परिवादिनी की प्रस्तुत वाद में कोई अभिरुचि नहीं रह गई है। ऐसी परिस्थिति में प्रस्तुत वाद को बी.एन.एस.एस की धारा 226 के अन्तर्गत खारिज किया जाता है। कार्यालय लिपिक नियमानुसार अभिलेख को अभिलेखागार में दर्ज कराना सुनिश्चित करें। (Dictated) S.D J.M	